

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021

स्क्राइब के लिए ई-प्रवेश पत्र

महत्वपूर्ण अनुदेश

1. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 का आयोजन दो सत्रों में किया जाएगा और प्रत्येक सत्र दो घंटे की अवधि का होगा।
2. 40% या इससे अधिक अक्षमता के साथ बेंचमार्क अक्षमता(पी डब्ल्यू बी डी)श्रेणी वाले उम्मीदवारों को [(i) दृष्टिबाधित (ii) लोकोमोटर अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित) (iii) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात तथा (iv) ऐसे उम्मीदवार जिनकी लिखने की क्षमता प्रभावित है तथा उन्होंने सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है की उपश्रेणी में,] प्रत्येक सत्र में बीस मिनट प्रतिघंटे (कुल 40 मिनट) का प्रतिपूरक समय अर्थात उत्तर लिखने के लिए प्रत्येक सत्र में दो घंटे चालीस मिनट का समय प्रदान किया जाएगा।
3. ऐसे विकलांग उम्मीदवार, जिन्हें आयोग ने परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए अपने स्क्राइब लाने की अनुमति प्रदान की है, वे स्क्राइब की सहायता तभी ले पाएंगे, जब उनके पास आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ विधिवत जारी मान्य स्क्राइब प्रवेश पत्र उपलब्ध हो।
4. आयोग के स्क्राइब उम्मीदवार के स्क्राइब की योग्यता परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता दसवीं या उससे अधिक होनी चाहिए।
5. ऐसे विकलांग उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए अपने स्क्राइब लाने की अनुमति प्रदान की है, उन्हें बाद में अपना स्क्राइब बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. स्क्राइब उम्मीदवार को प्रश्न पढ़ कर सुनाएगा तथा उम्मीदवार के निर्देश पर वस्तुनिष्ठ ओ एम आर उत्तर पत्रक में उचित गोले पर मार्क और शेड करेगा। उम्मीदवार स्क्राइब को स्पष्ट रूप से संकेत देगा कि उसके अनुमान के अनुसार चार उत्तरों में से कौन सा उत्तर सही है ताकि स्क्राइब काले बॉल प्वाइंट पेन से उचित गोले को काला करके उत्तर भर सके।
7. स्क्राइब ऐसा कोई इशारा, आवाज या कोई अन्य संवाद संकेत नहीं करेगा जिससे उम्मीदवार को यह लगे कि उसके द्वारा लिखाया जाने वाला उत्तर सही है अथवा नहीं। इस प्रकार का प्रयास किए जाने पर उम्मीदवार की अर्हता रद्द कर दी जाएगी और संबंधित उम्मीदवार और स्क्राइब, दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
8. स्क्राइब द्वारा उम्मीदवार को प्रश्न पढ़कर सुनाते समय या उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब को उत्तर पुस्तिका पर लिखने के लिए स्क्राइब को सही उत्तर बताते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि परीक्षा भवन की या भवन में बैठे अन्य उम्मीदवारों की शांति भंग न हो।
9. उम्मीदवार और स्क्राइब को इस आशय की घोषणा पर भी हस्ताक्षर करने होंगे कि वे उम्मीदवारों तथा उनके स्क्राइबों के आचरण के संदर्भ में आयोग के परीक्षा संबंधी अनुदेशों से अवगत हैं/ उन्होंने इन अनुदेशों को पढ़ लिया है और वे इन अनुदेशों का अनुपालन करने का वचन देते हैं।
10. उम्मीदवार या उसके द्वारा लाए गए स्क्राइब को आयोग द्वारा किसी टीए/डीए अथवा अन्य पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा।
11. उक्त में से किसी भी अनुदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के साथ-साथ आयोग द्वारा उम्मीदवार/स्क्राइब के विरुद्ध अन्य उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती

है। उम्मीदवार और स्क्राइब, दोनों ही परीक्षा के नियमों के अध्यधीन होंगे और इनका उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध परीक्षा के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

12. सभी उम्मीदवारों/स्क्राइबों के लिए मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों/स्क्राइबों ने मास्क/फेस कवर नहीं पहना होगा, उन्हें परीक्षा स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
13. तथापि, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारियों द्वारा, सत्यापन किए जाने पर उम्मीदवारों/स्क्राइबों को मास्क हटाना होगा।
14. उम्मीदवार/स्क्राइब को अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी शीशी (छोटे आकार की) में हैंड सैनिटाइजर लाना होगा।
15. उम्मीदवारों/स्क्राइबों को कोविड-19 के मानदण्डों को अनुपालन करते हुए, परीक्षा हाल/कक्ष के भीतर तथा परीक्षा-स्थल परिसर में सामाजिक दूरी और निजी साफ-सफाई का ध्यान रखना होगा।

Civil Services (Preliminary) Examination, 2021

E-ADMIT Card for Scribe

Important Instructions

- 1.** The Civil Services (Preliminary) Examination, 2021 will be held in two sessions and each session will be of two hours duration.
- 2.** The candidates of the Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) category with 40% or more disability [in the sub-categories of (i) blindness, (ii) locomotor disability (both arms affected), (iii) cerebral palsy and (iv) he/she has submitted a certificate issued by the competent medical authority having physical limitation to write] are allowed Compensatory Time of 20 minutes per hour (total forty minutes) for each session viz. such candidates will be allowed two hours and forty minutes to answer in each session.
- 3.** The candidates with disabilities, as explained above, who have been permitted by the Commission to bring their own scribe to write the Examination will be allowed to avail the assistance of such scribe, only if he/ she carries a valid scribe e-Admit Card duly issued by the Commission for such purpose.
- 4.** The qualification of the Commission's scribe as well as the candidate's scribe shall not be more than the minimum educational qualification criteria of the Examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.
- 5.** The Candidates with disabilities who have been permitted by the Commission to bring their own scribes to write the examination will not be allowed to change their scribe subsequently.
- 6.** The scribe will read out the questions to the candidate and on candidate's instruction, mark and shade the appropriate Circles on the Objective Type OMR Answer Sheet. The candidate will clearly indicate to the scribe as to which of the four responses in his/ her estimation, is the correct response so that the scribe can mark the answer accordingly by blackening the appropriate Circle with the Black Ballpoint Pen.
- 7.** The scribe will make no gestures, sounds or any other responds or communication designed to indicate to the candidate the correctness or otherwise of the answer being recorded by him/her. Any such attempt would entail disqualification of the candidate and stringent action against both the candidate and the scribe shall be taken.
- 8.** The peace in the Examination Hall or of the other candidates seated in the Examination Hall should not be disturbed while the scribe reads out the questions to the candidate or when the candidate indicates the correct response to the scribe for marking in the Answer Sheet.
- 9.** The candidate and the scribe will sign a declaration that they are aware of / have read the Commission's instructions regarding the conduct of the candidates and their scribe and they undertake to abide these instructions.
- 10.** No TA/ DA or any remuneration will be paid by the Commission either to the candidates or to the scribes brought by them.

- 11.** Violation of any of the instructions shall entail cancellation of the candidature of the candidate in addition to any other appropriate action that might be taken by the Commission against the candidate/scribe. Both the candidate and the scribe shall be subject to the Rules of the Examination and action will be taken against them for violation of the same as per Rules of the Examination.
- 12.** Wearing of mask/face cover is mandatory for all candidates/scribes. Candidates/scribes without mask/face cover will not be allowed entry into the Venue.
- 13.** Candidates/scribes, however, will have to remove their masks for verification, whenever required by the Examination functionaries.
- 14.** Candidate/scribe may carry his/her own hand sanitizer (small size) in transparent bottle.
- 15.** Candidates/scribes to follow COVID 19 norms of 'social distancing' as well as 'personal hygiene' inside the Examination Halls/Rooms as well as in the premises of the Venue.
